मलेरिया रोग के जैविक नियंत्रण में गम्बुसिया मछली का महत्व

गम्बुसिया मछली मलेरिया, फाईलेरिया आदि बीमारियों के नियंत्रण के लिए अत्यधिक उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हुई है, गम्बुसिया मछली उत्तरी अमेरिका लेबिस्टीस मछली दक्षिण अमेरिका की निवासी है, गम्बुसियां मछली सन् 1928 में भारत लाई गई थी, इसका वैज्ञानिक नाम गम्बुसिया एफिनिस है यह 24 घंटे में 27 से 100 मच्छरों के लार्वा को खाती है एवं प्रतिवर्ष कम से कम 10 बार प्रजनन करती है, इसके प्रतिकुल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता के कारण इसे रोग की रोकथाम हेतु रूके हुए पानी में एवं नालों मे संचित किया जाता है.

लेबिस्टीस मछली भी उक्त रोगों के रोकथाम के लिए उपयोगी हैं, जो लार्वा का भक्षण करती है, इसका वैज्ञानिक नाम बारबेडोस मिलियन्स है इसमें भी लाखों की संख्या में अंडे देने की क्षमता होती है इसे साधारण भाषा में गप्पी मछली भी कहते हैं.

गम्बुसियां मछली छोटे–छोटे जलीय कीड़े, मच्छरों के लार्वा एवं इल्लीभोजी स्वभाव होने के कारण मलेरिया, फायलेरिया रोग की रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण में लाभप्रद है.

इस मछली को बारहमासी एवं बरसात में रूके हुए छोटे–छोटे गड्डो के पानी एवं गन्दे पानी के नालों में डालते हैं जहां पर मच्छर अपने अंडे देते हैं, ऐसे स्थानों में रूके हुए पानी के ऊपर मच्छर अपने अंडे, प्यूपा, लार्वा देते है जिन्हें गम्बुसिया मछली अपना भोजन बनाती है, जिससे रोग नियंत्रण में सहायता मिलती है.

.....0.....

समस्या–समाधन

गांव शहर के ये तालाब, देखो हो न जाय खराब
इस जलनिधि में मछली पालो, रोजगार को ढूंढ़ निकालो
किसी समस्या से मत हारो, ऋण लेकर तालाब सुधारो
पाली मछली विक्रय करके, निज से ऋण का भार उतारों
कभी न होगा जल प्रदूषण,हमेशा दूर रहेगा कुपोषण

हर मर्ज की एक दवा

सिंधी, मांगुर मछली खाइये, टी.बी. दमा को दूर भगाइये.
चीतल, हिल्सा, चैला, ह्दय रोग पर करती कब्जा.
पुटिया, नैनी और टेगनी, आँखों की बढ़ाये रोशनी.
नरेन, रोहू कतला पढ़िन, रोके बाल पकना गिरना.
टिक्टा, चेला, गम्बूसिया, खाए मच्छर भगाए मलेरिया.

मत्स्य कृषकों को सन्देश

करो सफाई जो जल अवशेष,
इसके बाद डालो चूना।
पानी को स्वच्छ बना लो,
रोहू कतला मृगल डालो,
साथ में झींगा मछली पालो,
तालाब पार पर बनाओ झोपड़ी,
उसमें मुर्गी बतखें पालो,
उनकी विष्ठा तालाब में डालो,
पूरक आहार के रूप में अपना लो,
आय एक साथ, हो सकती कई।
जीवन अपना उज्जवल कर लो भई।

मत्स्य पालन की –ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

मत्स्य–उद्योग, और भोजन के रूप लिए मछली के उपयोग के बारे में हमारे इतिहास में वैदिक काल से निरंन्तर साहित्य मिलता है, जों इस उद्योग का महत्व स्पष्ट करना है। गृहसूत्र में स्पष्ट लिखा है कि मांस न मिलने पर ही शाकाहारी भोजन किया जाता था । अन्नप्राशन के समय बालक को खिलायी जाने वाली वस्तुओ की सूची में मछली, बकरी तथा चिड़िया का मांस प्रथम श्रेणी में आता था। इनके मांस का सेवन अनेक बीमारियों में, विशेष रूप से हृदय–रोग में, किया जाता रहा है। रामायण और महाभारत काल में मछुआ जाति विशेष उन्नत स्थिति में थी और संपन्न थी। जो मत्स्योद्योग की उन्नति का परिचायक है।

सम्राट अशोक के शिलालेखो में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस काल में मछली पालने और मारने आदि के लिए भी नियम बना दिये गए थे। दिल्ली शिवालिक के पांचवे शिलालेख में पशु–पक्षियो के शिकार पर रोक लगाते हुए मछली मारने के संबंध में यह निर्देश है कि आषाढ़ पूर्णिमा से पौष की पूर्णिमा तक निम्नांकित तिथियो पर–पौष में पुष्यनक्षत्र और पूर्णिमा पर चौदस, और अमावस को तथा दोनो प्रतिपदा को मछली पकड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा था।

इस शिलालेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि मत्स्य उद्योग अर्थात मछली पकड़ने और बेचने को मान्यता प्राप्त थी और भोजन में मछली का उपयोग अशोक महान् के काल में भी होता था। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व मौर्य–काल में ब्राम्हण विद्वान चाणक्य ने विभिन्न धर्मसूत्रो के अध्ययन के आधार पर शासन चलाने के लिए कौटिल्य–अर्थशास्त्र की रचना की और उसमें मत्स्य–उद्योग के लिए स्पष्ट नियम बनाये थे। जनपद–निवेष के 19 वें प्रकरण में कहा गया है–''राजा जलाशयों और झीलो में मछली पकड़ने, नौका चलाने और शाक–व्यापार पर अपना स्वामित्व रखेगा।''

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में मत्स्य–उद्योग और राज्य द्वारा संचालित मछली–व्यापार हेतु जनहितार्थ नियम भी बना दिये थे। जीवों को वंश नाश से बचाने के लिए उनके 1/6 भाग की रक्षा राज्य द्वारा की जाती थी। मछली पकड़ने की अनुज्ञा (लायसेन्स) के बारे में आदेश था कि पकड़ी हुई मछली का छठा हिस्सा शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा। मछली की रक्षा, प्रजनन की व्यवस्था, शुल्क आदि प्राप्त करने, मछली के प्रबंध और प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त मछली का महत्व पूरा–पूरा आंका जाता था।

मछली की खाद के उपयोग के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र के इकतालीसवें प्रकरण में लिखा है कि अंकुर फूटने के बाद छोटी–छोटी ताजी मछलियो की खाद देनी चाहिए एवं स्नुही के दूध से सींचना चाहिए।

समाज में मछली इतनी प्रचलित थी कि दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग प्रमुख हो गया था। यात्रा के समय अथवा कोई शुभ कार्य करते समय मछली का दर्शन शुभ माना जाने लगा था। भारतीय कथा साहित्य में भी मछली की महिमा दिखाई देती है। भारतीय कवियो और साहित्यको ने मछली की सुन्दरता को प्रतीक माना है तथा सुन्दरियो के नेत्र–सौन्दर्य को मीनाक्षी या मछली जैसे नेत्र कहकर सराहा है। विक्रम संवत् 1127 में राजा सोमेश्वर ने ''मत्स्यविनोद'' नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे उस काल में इस विषय का महत्व स्पष्ट हो जाता है । भारतवर्ष में प्रचुर आन्तरस्थलीय जल–साधनो के आधार पर इस

मत्स्य–उद्योग का प्रसार आवश्यक भी था। समय और आवश्यकता के अनुसार मत्स्य–पालन की पद्धतियों में अंतर आता रहा है।

भारत का लगभग 5000 कि0मी0 विस्तृत समद्री किनारा देश के मछुओ के लिए सदा से ही उपयोगी रहा है। इस क्षेत्र में मछली की पैदावार निरन्तर होती रहती है। क्षेत्र के अनुसार वहां पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों (नावों तथा जालों) का पाया जाना इस व्यवसाय की पुरानी परम्परा का जीता–जागता प्रमाण है।

कालान्तर में मत्स्य–उद्योग जनरूचि, उपलब्धि आदि सामयिक कारणों से कुछ विशिष्ट भागों में ही अधिक प्रचलित रहा। इसका प्रचलन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रान्तो में ही अधिक रह गया था, यद्यपि देश के अन्य भागों में भी न्यूनाधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती थी। इन प्रदेशो में इसके विशेष प्रचलन के कारण वहां की जनता के जैविक भोजन में मछली प्रमुख सामग्री बन गई। वर्तमान में, जब खाद्य–स्थिति का संकटकाल है ओर जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्य–उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, सहायक भोजन के रूप में मछली पर ही दृष्टि जाती है, जिसका उत्पादन बढ़ाकर खाद्य–समस्या का हल किया जा सकता है और इसके लिए समुचित साधन भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि मासांहार खाद्य–पदार्थो में मछली पर्याप्त लोकप्रिय है।

भारत में प्राचीन काल से मत्स्य–उद्योग का प्रचलन रहा है। वर्ण व्यवस्था वाले भारतीय समाज में मछुआ, केवट, धीमर आदि संज्ञा एक ऐसे वर्ग–विशेष को दी गई थी, जो मत्स्य–उद्योग में लगा हुआ था। भारत का मत्स्य–उद्योग विशेष रूप से इसी वर्ग के लोगां के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान पर चला आ रहा है। आज विशेष अध्ययन तथ अन्वेषण द्वारा इसे विकसित करने का प्रयास हो रहा है और सम–सामयिक बनाया जा रहा है।

.....0.....

कार्यालय ग्राम पंचायत.....वि.खं.....जिला –शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक..... /ग्रा.पं./ता.पट्टा/2003–04 दिनांक .....

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन मछली पालन विभाग के आदेश क्रमांक 2886/96/36/ भोपाल दिनांक 31.10.03 के तहत ग्राम पंचायत ..... वि.खं.....के ग्राम .... में मत्स्य पालन से खाली पड़े निम्नलिखित तालाब/तालाबों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर शासकीय नियमों – शर्तो तथा निम्न प्राथमिकता क्रम में प्रदाय किया जाना है। प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार है :–

(1) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां

(2) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग के स्व सहायता समूह/ समूह

(3) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति विशेष हितग्राही व्यक्ति (महिला या पुरूष)

अतः निम्नलिखित तालाब/तालाबों को, मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, सादे कागज में अपने आवेदन दिनांक .....तक ग्राम पंचायत के कार्यालय/सरपंच/सचिव को प्रस्तुत करें व पावती प्राप्त करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति जो तालाब मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर प्राप्त करना चाहते है उनका स्थानीय निवासी तथा गरीबी रेखा सूची में होना अनिवार्य है।

शासकीय नियम, शर्ते तथा अन्य विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत कार्यालय में सरंपच/सचिव से प्राप्त किए जा सकते है।

पट्टे पर प्रदाय किए जाने वाले तालाब का विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	तालाब का नाम	जलक्षेत्र (हे.)	प्रस्तावित पट्टा राशि रू.प्रतिवर्ष	कितने व्यक्ति को तालाब दिया जावेगा संख्या	जहां तालाब स्थित है ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

सचिव
हस्ता./सील

सरपंच
हस्ता./सील

पृ.क्र..... /ग्रा.पं./ता.पट्टा/2003–04 दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा ग्राम के अन्य स्थल पर सार्वजनिक प्रदर्शन एवं मुनादी हेतु।

2. मत्स्य निरीक्षक वि.खं.....की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,, जनपद पंचायत .....की ओर सूचनार्थ।

सचिव
हस्ता./सील

सरपंच
हस्ता./सील

ग्राम पंचायत द्वारा मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब प्रदाय करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया

शासन की स्पष्ट नीति है कि समस्त जलक्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जावे, कोई भी तालाब/जलाशय मत्स्य पालन से वंचित न रहें । प्रायः ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पंचायत अन्तर्गत पड़े खाली तालाब मत्स्य पालन हेतु देना तो चाहते है लेकिन तालाब कैसे दिये जावे, आदि प्रक्रिया से अवगत नहीं होते है। इस कारण तालाब खाली पड़े रह जाते है।

सरपंच, सचिव तालाब को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर कैसे प्रदाय करें, इस हेतु निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम लेख है जिसका क्रम से पालन कर नियमानुसार तालाब पट्टे पर प्रदाय किया जा सकता है।

समयबद्ध कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है –

प्रस्तावित ग्राम सभा के लगभग 16 या 17 दिवस पूर्व आपेक्षित कार्यवाही –

1. ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तालाबो को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने के लिए मुनादी तथा लिखित सूचना (विज्ञप्ति) जारी करेगी। विज्ञप्ति में कम से कम 15 दिवस का समय आवेदन करने के लिए दिया जावेगा। (देखें –विज्ञप्ति का प्रारूप)

नोटः– ग्राम पंचायत 10 हेक्टर उत्पादित जलक्षेत्र तक के ऐसे तालाब ग्राम पंचायत सिचाई जलाशयों को मत्स्य पालन हेतु लीज पर देना प्रस्तावित करेगी जो मत्स्य पालन से रिक्त है । मत्स्य पालन हेतु लीज पर पूर्व में प्रदाय तालाबो/जलाशयों को किसी भी स्थिति में बिना इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के निरस्त नहीं किया जायेगा। कार्यवाही संबंधित ग्राम के सरपंच/सचिव

विज्ञप्ति जारी दिनांक से ग्राम सभा के एक या दो दिन पूर्व तक की अवधि की कार्यवाही –

1. मत्स्य पालन हेतु इच्छुक हितग्राही से आवेदन सादे कागज में प्राप्त किया जावे तथा पावती दी जावें। निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जावें। (देखें– आवेदन का प्रारूप)

कार्यवाही संबंधित ग्रामसरपंच/सचिव

2. संबंधित तालाबों के नक्शा खसरा संबंधित पटवारी से प्राप्त किए जावे ।

कार्यवाही संबंधित ग्राम के सरपंच/सचिव

3 प्राप्त समस्त आवेदनों की छानबीन ग्राम पंचायत करेंगी । तथा शासन के निर्धारित नियम एवं शर्तो तथा प्राथमिकता के अनुसार प्रस्ताव तैयार करेगी।

कार्यवाही संबंधित ग्राम के सरपंच/सचिव

4 शासन के निर्देश तथा प्राथमिकतायें निम्नानुसार है –

(1) आवेदक को गरीबी रेखा में होना अनिवार्य है। जिसका सत्यापन गरीबी रेखा की सूची में होना चाहिए।

(2) आवेदक स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(3) आवेदक का मछुआ होना अनिवार्य है। अर्थात्–वह पानी में उतरकर मछली मारने, पकड़ने या पालने का कार्य करता हो। (सरपंच का प्रमाणीकरण)

एक हितग्राही को एक हेक्टयर जलक्षेत्र प्रदाय किया जाना है, यदि तालाब एक हेक्टर से अधिक जलक्षेत्र का है तो उसी अनुपात में हितग्राही की संख्या बढ़ जावेगी। (जलक्षेत्र की गणना पटवारी रिकार्ड के आधार उपलब्ध जलक्षेत्र (भीट छोड़कर) पर की जावेगी)

उदाहरण के लिए –

(अ) यदि पटवारी रिकार्ड में तालाब का रकबा 0.890 हेक्टयर है तो तालाब एक व्यक्ति को दिया जायेगा।

(ब) यदि पटवारी रिकार्ड में तालाब का रकबा 1.890 हेक्टर है तो तालाब अलग–अलग परिवार के दो हितग्राहियों को सम्मलित रूप से दिया जायेगा।

(5) पट्टा राशी का निर्धारण

ग्रामीण तालाब

(अ)	मौसमी ग्रामीण तालाब 0 से 10 है.	–	रू 300 /– प्रति हेक्टर
(ब)	12 मासी ग्रामीण तालाब 0 से 10 है.	–	रू 500 /– प्रति हेक्टर

सिंचाई जलाशय

(अ)	10 से अधिक 50 है. तक	–	रू 200 /– प्रति हेक्टर
(ब)	50 से अधिक 200 है. तक	–	रू 150 /– प्रति हेक्टर
(स)	200 से अधिक 1000 है. तक	–	रू 75 /– प्रति हेक्टर

(6) तालाब पट्टे पर देने के लिए प्राथमिकताओ का क्रम निम्नानुसार होगा –

(क) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां

(ख) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग के स्व सहायता समूह/ समूह

(ग) वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति विशेष हितग्राही व्यक्ति

(7) पंचायतें या ग्राम सभा तालाब को शासन द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तो एवं प्राथमिकता अनुसार ही पट्टे पर देंगे। किसी भी स्तर की पंचायत/ग्राम सभा को शासन द्वारा निर्धारित नियमों से हटकर किसी भी तालाब/जलाशय को पट्टे पर देंने का अधिकार नहीं होगा।

5 **ग्राम सभा के दिन की जाने वाही कार्यवाही –**

ग्राम सभा में ग्राम पंचायत समस्त प्राप्त आवेदनो को ग्राम सभा में रखेगी, तथा शासन के नियमों, शर्तो तथा प्राथमिकता क्रम के आधार पर अपने विचार ग्राम सभा को बतायेगी। ग्राम सभा शासन के नियमों शर्तो तथा प्राथमिकता के आधार पर हितग्राही के चयन की कार्यवाही करेगी। ग्राम पंचायत हितग्राही के चयन का प्रस्ताव पारित करने का, या ग्राम सभा में अपने निर्णय को जबरदस्ती पारित करने का अधिकार नहीं है ग्राम सभा का निर्णय ही सर्वोपरि तथा मान्य होगा।

कार्यवाही –ग्राम सभा

6 ग्राम सभा का पारित प्रस्ताव विधिवत् ग्राम पंचायत के बैठक में या बहुमत से सर्वसम्मति से पारित कर कार्यवाही पंजी में अंकित किया जावेगा तथा उसकी सत्य प्रतिलिपि जारी की जावेगी।

कार्यवाही सरपंच/ग्राम सचिव

7 संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा, सरपंच का आवेदन पत्र (प्रारूप–7 पर) हितग्राही का मूल आवेदन पत्र, ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि तथा तालाब का पटवारी से प्राप्त नक्शा–खसरा की नकल, पूर्ण कर, विकास खंड में पदस्थ मत्स्य निरीक्षक या सहायक संचालक कार्यालय में जमा करेंगें।

8 संबंधित मत्स्य निरीक्षक, निर्धारित प्रपत्र क्रं0 1 से 14 तक में समस्त औपचाकितायें सरपंच, सचिव एवं हितग्राही से पूर्ण करावेगें। इसमें मत्स्य निरीक्षक, सरपंच एवं सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे 10 दिवस में कार्यवाही पूर्ण कर नस्ती मत्स्य पालन विभाग के जिला कार्यालय को भेजें।

9 जिला कार्यालय प्रस्तुत नस्ती का परीक्षण कर, उपयुक्त पाए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास) से अनुमति प्राप्त कर अनुमति जारी करेगें।

10 संबंधित ग्राम पंचायत को अनुमति प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव संबंधित हितग्राही से पट्टा राशि ग्राम कोष में जमा करायेगें तथा मत्स्य कृषक तथा ग्राम पंचायत के मध्य अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करेगी।

11 मत्स्य कृषक तथा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के मध्य आदेश करार का निष्पादन, संबंधित मत्स्य निरीक्षक पूर्ण करेगें।

12 उपरोक्त कंडिका क्रं0 1 से 11 तक की कार्यवाही सुनिश्चित होने, के उपरांत संबंधित सरपंच/सचिव पट्टा आवंटन आदेश जारी करेगें।

13 संबंधित हितग्राही पट्टा आदेश प्राप्त करने के पश्चात् मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ करें।

14 संबंधित हितग्राही बाध्य होगा कि वो मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के मार्गदर्शन मे

कार्य करे तथा संबंधित रिकार्ड का संधारण करें।

तालाब लीज पर लेने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत,
विकास खंड.....
जिला शहडोल म0प्र0

विषयः– ग्राम पंचायत स्वामित्व का .....तालाब मत्स्य पालन हेतु लीज पर दिलाये जाने बावत्।

सन्दर्भः– आपकी विज्ञप्ति क्रमांक.....दिनांक .....

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी ग्राम पंचायत.....के ग्राम.....का मूल निवासी है तथा गरीबी सीमा के नीचे जीवन यापन करता है। प्रार्थी का नाम गरीबी सीमा सूची में चयन क्रमांक.....वर्ष.....पर अंकित है। प्रार्थी मत्स्य पालन में रूचि रखता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को.....तालाब मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय लीज पर दिलाये जाने की कृपा करें।

इस बावत् पंचायत की जो भी नियम व शर्ते होंगी वो सभी प्रार्थी को मान्य होंगी।

प्रार्थी
(**हस्ताक्षर**)
नाम.....
पिता का नाम.....
पूरा पता.....
वि0खं0.....
जिला शहडोल म0प्र0

ग्राम पंचायत के तालाब मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर कैसे प्राप्त करें

वे व्यक्ति जो मत्स्य पालन के कार्य में रूचि तो रखते है किन्तु उनके पास तालाब नहीं है ऐसे व्यक्ति, ग्राम पंचायत स्वामित्व के तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर प्राप्त कर मत्स्य पालन का कार्य कर सकते है। ग्राम पंचायत स्वामित्व के तालाबो को मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर देने का अधिकार संबंधित ग्राम की ग्राम सभा को है। ग्राम पंचायत जब तालाब को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने के लिए विज्ञप्ति जारी करती है तथा मुनादी कराती है तो आप सादे कागज में अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को आवेदन देकर पावती प्राप्त करें तथा आगामी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंवें। यदि शासन के प्राथमिकता क्रम तथा नियमानुसार आपकी पात्रता बनती है तो ग्राम सभा आपके पक्ष में प्रस्ताव पारित करेगी । ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव तथा क्षेत्र के मत्स्य निरीक्षक का दायित्व है कि वे मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर प्रदान करने का प्रस्ताव पूर्ण करें जिसमें आपका आवेदन पत्र, तालाब का नक्शा, खसरा, ग्राम सभा के प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि तथा 1 से 14 तक निर्धारित प्रपत्र जो संबंधित मत्स्य निरीक्षक के पास उपलब्ध रहते है को पूर्ण कर पूर्ण प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजा जावेगा जहां कलेक्टर से अनुमति प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतें पट्टा राशि जमा कराकर अनुबंध पूर्ण करेंगी तथा 10 वर्षीय पट्टा ग्राम पंचायत जारी करेगी । पट्टा प्राप्त होने पर आप लगातार 10 साल तक मत्स्य पालन का कार्य कर सकते है।

मत्स्य पालकों के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु

1. तालाब को नियमानुसार पट्टे पर प्राप्त कर मत्स्यपालन करें नीलामी में न लें यह नियम के विपरीत है।
2. इस आशय का सूचना पट लगायें कि इस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, कृपया इस तालाब में विषैली वस्तु, बर्तन या स्प्रेयर न धोयें।
3 मत्स्य पालन आय का उत्तम साधन है इसलिए इसे समूचित ढंग से व्यापार की तरह करें।
4 मत्स्य बीज, संचयन, मत्स्याखेट आदि मत्स्य अधिकारी की सलाह लेकर करे।
5 बीज डालने के पूर्व तालाब की तैयारी साफ–सफाई से पूर्ण संतुष्ट हो लें।
6 शासकीय या शासन से मान्यता प्राप्त मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रो से ही मत्स्य बीज, क्रय कर संचित करें।
7 लीज राशि समय पर पटाकर पक्की रसीद प्राप्त करें, तथा मत्स्य बीज क्रय की रसीदें भी रखें।
8 मत्स्य बीज संचयन प्रति हेक्टर संख्या के आधार पर करें वजन के आधार पर नहीं।
9 एक ही प्रकार का मत्स्य बीज संचित न करें, मिश्रित मत्स्य बीज संचित करें।
10. किसी ठेकेदार या बिचौलियों से उधार में मिले तब भी मत्स्य बीज न लें अन्यथा उसे उसके निर्धारित दर पर मछली बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेंगा।
11. ज्यादा अच्छा हो नर्सरी बनाकर स्पान सवंर्धित करें तथा अंगुलिकायें बनाकर तालाब में संचित करें।
12.. कतला, रोहू, मृिगल के साथ बिगहेड संचित न करें अन्यथा कतला की बाढ़ प्रभावित होगी।
13. तालाब से जितनी मछली निकाले पुनः उतना मत्स्य बीज संचित करें।
14 मत्स्य बीज का प्रतिमाह एवं बाढ़ को आधार मानकर निरीक्षण करें।
15 केन्द्र शासन द्वारा थाईलैण्ड मागुर एवं बिगहेड पालन प्रतिबंधित है अतः ये मछलियां न पाले।
16 शीत ऋतु में ज्यादा मात्रा में मछली निकालें।
17 दो वर्ष पुरानी परिपक्व मछलियां बाजार में विक्रय न करें, उसे मत्स्य बीज उत्पादन हेतु मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र में उपलब्ध करायें।
18 मछली निकलवाने के पूर्व अधिकतम दर में मछली विक्रय सुनिश्चित करें, बेहतर होगा स्वयं मछली बाजार जायें।
19 तालाब में 15–20 जगह पेड़ों की बड़ी घनी डालियां डाल दे ताकि गिलनेट से मछली न चुराई जा सके।
20. तालाब के आय–व्यय का हिसाब रखें।
21 जिन तालाबों में ग्रासवासी निस्तार करते हैं, मवेशियों को धोते हैं एवं गलियों का निस्तारी जल बहकर आता है, ऐसे तालाबों में कच्चा गोबर एवं रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता कम होती है।
22. तालाब की नियमित चौकीदारी करें।

23. तालाब में किए जाने वाले कार्यो को दिनांकवार पंजीबद्ध करें, तथा संबंधित अधिकरियों के मांगने पर अवश्य दिखावें।

24. ग्रामीणतालाबों में मत्स्याखेट के लिए ऐसे समय का चुनाव करना चाहिय ंजब उसमें जल स्तर ज्यादा हो। प्रायः अक्टूबर से फरवरी तक सम्पूर्ण मत्स्याखेट करा लें इससे तालाब का पानी गंदा नहीं होगा, ग्रामीणो को निस्तार में असुविधा नहीं होगी तथा विक्रय राशि अच्छी मिलेगी।

25 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट बंद रखें। इस अवधि में परिपक्व मछलियां अंडे देती है, इस अवधि में नदियों, नालों एवं इनसे जुड़े जलक्षेत्रों में मत्स्याखेट करने पर 5000 रूपये तक जुर्माना तथा एक वर्ष करावास की सजा का प्रावधान है।

26 प्रति वर्ष दुर्घटना बीमा करायें। मछुओ के दुर्घटनाग्रस्त होने, विकलांग होने अथवा मृत्यु होने पर तत्काल मत्स्य विभाग के अधिकारी को सूचित करें।

27 निकटतम मत्स्य अधिकारी से सतत सम्पर्क बनाये रखें।

.....0.....

विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के नाम तथा पता

मत्स्य पालन सम्बन्धी जानकारी या सहायता के लिये अपने विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी से सम्पर्क करें जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	अधिकारी का नाम	मुख्यालय	घर का पता
1	2	3	4	5
1.	सोहागपुर	श्री मासूद अहमद मत्स्य निरीक्षक	सोहागपुर	सिंहपुर रोड, सेन्टजूड्स स्कूल के पास शहडोल (म0प्र0)
2.	बुढ़ार	श्री एन. के. श्रीवास्तव मत्स्य निरीक्षक	बुढ़ार	चमड़िया जी का मकान बुढ़ार जिला –शहडोल (म0प्र0)
3.	गोहपारू	श्री राजेश श्रीवास्तव मत्स्य निरीक्षक	शहडोल	शिवम कालोनी बलपुरवा रोड शहडोल (म0प्र0
4.	जयसिंहनगर	श्री एस. एस. मिश्रा मत्स्य निरीक्षक	जयसिंहनगर	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बस स्टेन्ड के पास जयसिंहनगर
5.	व्यौहारी	श्री जे. के. वर्मा सहायक मत्स्य अधिकारी	व्यौहारी	टंकी तिराहा मुदरिया रोड़ ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)

सूचना का अधिकार –2005

मत्स्य पालन विभाग में सूचना का अधिकार–2005 लागू है।

लोक सूचना अधिकारी जिला–शहडोल–	श्री एस. के. श्रीवास्तव, सहायक संचालक मत्स्योद्योग शहडोल दूरभाष– 07652 – 240352 – आफिस 245448 – निवास निवास का पता– जी. 14 पाण्डवनगर– शहडोल
सहायक लोक सूचना अधिकारी–शहडोल–	श्री प्रदीप श्रीवास्तव मत्स्य निरीक्षक– शहडोल दूरभाष– 07652 – 240352 – आफिस 240021 – निवास निवास का पता– गंजरोड शहडोल
प्रथम अपीलीय अधिकारी	श्री डी. व्हीं. सिंह मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल दूरभाष– 07652 – 241700 – आफिस 241300 – निवास निवास का पता– गायत्री मंदिर के पास घरौला, शहडोल
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	श्री एच. एस. सिद्धू संचालक मत्स्योद्योग, म0प्र0 , भोपाल दूरभाष– 0755 – 2551542 – आफिस 2767569 – निवास निवास का पता–एफ0 93/40 1250 हास्पिटल भोपाल।

जानकारी के लिए कार्यालय का पता– कार्यालय–सहायक संचालक मत्स्योद्योग रीवा रोड़ शहडोल (म0प्र

मत्स्य चालीसा

आय बढ़ानी पड़ेगी, करके निज व्यापार।
पढ़ना लिखना खत्म हुआ, बैठो मत बेकार।।
बैठो मत बेकार, चयन पोखर का करो।
दुमट–मटियार मिट्टी, जल दो मीटर तक भरो।।
बड़े–बड़े पेड़ों की, छाया है क्षतिकारी।
पर बांधों पर साग–सब्जियां होत हितकारी।।

प्रवेश–निकाय बचालें, तार–जाल लगाकर।
तालाब सरक्षित कर लें, ऊचा बांध बनाकर।।
ऊचा बांध बनाकर, तलछट की करो सफाई।
अवांछित पेड़ों अरू, धासों की करो कटाई।।
सभी जलीय पौधे, जल से उन्मूलित कर लें।
सड़ा इन धासों को, अब हरी खाद बना लें।।

पढ़िन, सौर, टेंगर, गिरई, खतरनाक परभक्षी।
मोय, बुल्ला, चनगा, कबई, नहीं होती है अच्छी।।
नहीं होती है अच्छी, गुर्दा, मुहिया अरू सिधरी।
सुनरी, चेल्हा, धवई, डेढुआ, खोस्टी, चनरी।।
अवांछित सभी मीन, इनका उन्मूलन कर दें।
ढ़ाई टन हर हेक्टेयर, महुआ की खली दें दें।।

चूने के उपयोग से, अम्ल सुधार हो जाय।
रोग निवारे मीन का, उर्वरकता बढ़ि जाय।।
उर्वरकता बढ़ि जाय, गोबर पुष्कर में डालो।
भोजन हो भरमार, प्लवक तालाबहि पालो।।
मछली पालन हेतु, प्रचुर प्राकृतिक आहार।

शुद्ध अंगुलिकाओं से, संचित पोखर कर यार।
रोहू, भाकुर, अरू, नैन, बड़ी कार्प स्वदेशी।
सिल्वर, कामनकार्प, अरू, ग्रास कार्प विदेशी।।
ग्रास–कार्प विदेशी, घास बिना पड़े न चैन।
तलछट से आहार ले, कामन कार्प व नैन।।
रहता भाकुर, ऊपर, छाता प्राणी–प्लवकों को।

सतह पर सिल्वर कार्प, लेत वनस्पति–प्लवकों को।।
भोंजन संबंधी कार्प की, आदत ज्ञात करके।
लाभ जनक अति होत है, मिश्रित पालन करके।।
मिश्रित पालन करके, उपभोग अधिका होवे।
उपज मिलता अधिका, पर खर्चीला नहि होवे ।।
जन्तु व वनस्पति प्लवकें, रोहू–मीन भल खाता।
पर बास हेतु इसे, बीच का स्तर ही भाता ।।

हेक्टर पीछा मीन शिशु, रखिये दस हजार।
मत्स्य–बीज, केन्द्र पर मिले, देती है सरकार।।
देती है सरकार, संचय छः जाति का कीजै।
बीस प्रतिशत रोहू, दस ग्रास कार्प ही लीजै।।
सौ में चालीस लो, भाकुर अरू सिलवर कार्प।
हर सौ करलो संचय, तीस नैन, कामन कार्प।।

नित देखी रंग पानी का, रोज करो निरीक्षण।
हाथ डुबो केहुनी तक, करो सरल परीक्षण।।
करो सरल परीक्षण, मीन–प्राकृतिक आहार।
हल्के हरे–भूरे जल में, प्लवक रहें अपार।।
प्लवक प्रचुरता जान, हथेली अगर अगोचर।
अन उपजाऊ मान लो, अगर साफ दृष्टिगोचर।।

चंद दिनों संचय के बाद, खत्म होवे जल खाद्य।
तब मीन को देते है, रोज सम्पूरक खाद्य।।
रोज सम्पूरक खाद्य, मूंगफली तिल की खली।
चावल–भूंसी और, गेहूं–चोकर हो भली।।
एक–एक अनुपात में, लेते है भूंसी–खली।
हर दिन उपयोग से, होती मीन बर्धन भली।।

एक चौथाई भार, प्रतिदिन दीजै घांस।
ग्रास कार्प खूब खाती, आकर इसके पास।।
आकर इसके पास, जल को उर्वरक बनावे।
दो फीसदी भार का खाद्य अन्य को देवे।।
एक बार हर मास, पोखर में जाल चलाकर।
देखो सेहत मछली की, व औसत वर्धन दर।।

जल में करिये छिड़काव, डायुरान का तभी।
सूक्ष्म शैवाल भर जाय, जब पानी में कभी।।
जब पानी में कभी, मत्स्य थुथने ऊपर करती।
अम्ल जान की कमियां, मीन सब आंहे भरती।।
बंद करे तत्काल, आहार मछली को देना।
परन्तु चूना को दो कुन्तल हर हेक्टर देना।।

निकटस्थ मछली केन्द्रो को, तुरंत दे समाचार।
रोग ग्रस्त रहे यदि मीन, करो शीघ्र उपचार।।
करो शीघ्र उपचार, मीन की फसल उठाओं।
हर–हेक्टेयर तीन टन साल में मछली पाओ।।
औसत एक किलो की, बेचो मछली कर याद।
अच्छी फसल उठाओ, बारह मासो के बाद।।

उच्च तकनीकी कार्प की, तूने किया कमाल।
जो तुने अपनायेगा, होवे माला–माल।।
होवे माला–माल, अपना कर मिश्रित पालन।
बांधों पर फल–साग, करलें पशु–मुर्गी पालन।।
कहते ''राधेश्याम'' माँस–मछली खाओ।
बन सकते धनवान, अगर तुम कार्प उगाओ।।

डा0 राधेश्याम
कौशल्यागंगा, उड़ीसा,

अपनी बात

भारत आबादी की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान में है, बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर भोज्य पदार्थ की बढ़ती मांग तथा रोजगार के साधनों के बढ़ाने की महती जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किन्तु उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में बृद्धि की जा सकती है। कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव सृजित श्रोतों का समुचित दोहन किये बिना ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। मत्स्य पालन की इस क्षेत्र में अहम भूमिका हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जल संरचनाएँ उपलब्ध रहती है जिनका उपयोग वर्तमान में मात्र निस्तार कार्य एवं कृषि कार्य में सिंचाई के रूप में किया जाता है। यदि इन जल संरचनाओं का उपयोग मत्स्य पालन के रूप में किया जाय तो बहुत से परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त ब्यय के रोजगार से जोड़ा जा सकता है। मत्स्य पालन वर्तमान में जहां खाद्य पदार्थ के वैकल्पिक साधन के रूप में देखा जा रहा है, वही इसके उच्च कैलोरीयुक्त पौष्टिक गुणों के कारण कुपोषण से निदान भी प्राप्त किया जा सकता है।

मत्स्य पालन की सरल एवं सस्ती तकनीक होने तथा लागत कम होने के कारण भी इसे शीघ्र ही लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

शहडोल जिले के संदर्भ में देखा जाय तो जिले में मूलरूप से आदिवासी भाई बहुसंख्यक में निवास करते है जिनके द्वारा प्राचीनकाल से ही मत्स्यपालन एवं आखेट का कार्य किया जाता रहा है, इसके अतिरिक्त कालरी क्षेत्र होने के कारण भी मछली की मांग निरन्तर बनी रहती है, जिससे बाजार में विक्रय की कोई समस्या नहीं है। जिला पंचायत शहडोल द्वारा भी कृषि एवं सिंचाई विस्तार हेतु बड़े जलाशयों का निर्माण कराया गया है, जिनमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। यदि इन तालाबों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ मत्स्यपालन की आधुनिक तकनीकी से मत्स्यपालन का कार्य स्वसहायता समूह से कराया जाय जिस दिशा में जिला प्रशासन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा सार्थक पहल प्रारम्भ की गयी है तो यह कार्य ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में नील का पत्थर साबित हो सकेगा। वर्तमान समय जिले में मत्स्यपालन योजना 2199 तालाब जलक्षेत्र 2973 हेक्टयर उपलब्ध हैं जिसमें से 2076 तालाब जलक्षेत्र 2895 हेक्टयर मत्स्यपालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है। वर्ष 2004–2005 में जिले में 3080 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया गया था। जिसे 3600 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की सम्भावना है जिस पर कार्य किये जाने की महती आवश्यकता है। ग्रामीण भाईयों, जनप्रतिनिधियों तथा शासन के समन्वित प्रयास द्वारा प्रयास कर कार्य किया जाय तो फास्ट फूड के रूप में मछली पैकेजिंग आदि के माध्यम से अधिक आय अर्जित की जा सकती है।

आइये समन्वित प्रयासकर मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सहभागी बनें।

स्वयं की भूमि पर पोखर निमार्ण कैसे करें

अगर आप मत्स्य पालन में रूचि रखते है तथा मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते है किन्तु आपके पास तालाब नहीं है तो निराश मत होइये, मत्स्य पालन विभाग की पोखर निमार्ण योजना के तहत आप स्वयं की भूमि में पोखर निमार्ण कर मत्स्य पालन कर सकते है। पोखर निमार्ण के लिए बस आपको एक सादे कागज में आवेदन अपने निकट के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को देना है आवेदन के साथ जिस जमीन पर आप तालाब बनवाना चाहते है उस जमीन का नक्शा–खसरा (चालू वर्ष का) लगाना आवश्यक है साथ ही जमीन आवेदक के नाम होना भी जरूरी है। इस योजना की विशेषता यह है कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं गरीबी रेखा का बंधन नहीं है।

आपके आवेदन के आधार पर, मत्स्य पालन विभाग के इन्जीनियर स्थल का सर्वेक्षण करेगें। प्रस्तावित स्थल, तालाब निमार्ण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ''प्लान–प्राक्कलन'' पूर्ण कर प्रस्ताव बैंक को भेजे जावेगें। तालाब निमार्ण हेतु प्रायः ऐसे स्थल का चयन किया जाता है जिसकी मिट्टी अच्छी हों, जिसमें पानी रोकने की क्षमता हो, प्रस्तावित तालाब स्थल का कैचमेंट एरिया हो ताकि बर्षात में भर सके, तथा निचले स्तर (लो–लाइन) पर हो, पथरीली, मुरूम या रेतीली मिट्टी तालाब निमार्ण हेतु अनुपयुक्त होती है। तालाब निमार्ण हेतु बैंक से रू0 3.00 लाख प्रति हेक्टर की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सभी वर्गो को 20% अधिकतम सीमा रू0 60,000 प्रति हेक्टर तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 25% अधिकतम रू0 75,000 प्रति हेक्टर अनुदान देय है | आधिकतम 5.00 हेक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है । आप प्राप्त ऋण एवं अनुदान से मत्स्य पालन विभाग के यंत्रियों के मार्गदर्शन में स्वयं का तालाब स्वयं निर्मित कर मत्स्य पालन का सपना पूरा कर सकते है।

यदि आप बैंक से ऋण नहीं लेना चाहतें है तथा स्वयं के व्यय से तालाब निर्मित करना चाहते है तो कर सकतें है इसमें भी आपको उपरोक्त दर अनुसार अनुदान की पात्रता होगी। प्रक्रिया वहीं है जो बैक ऋण हेतु ऊपर लेख की गई है। आवेदन में उल्लेख करना होगा कि आप स्वयं के व्यय से पोखर निमार्ण करना चाहते है।

अतः सोचिये मत आज ही आवेदन कर योजना का लाभ उठायें, लक्ष्य सीमित है।

.....0.....

मछली सहित प्रमुख खाद्य पदार्था में कैलोरी और पौष्टिक धटकों की मात्रा

(100 ग्राम खाद्य औसत)

खाद्य समूह (100 ग्राम)	केलोरी	प्रोटीन (ग्राम)	वसा (ग्राम)	कार्बोहाइड्रेट (ग्राम)	केल्शियम (मि.ग्राम)	आयरन (मि.ग्राम)	विटामिन ए (आइ.यू)
दूध	100–35	4.0	7–8.5	5	210	लेस मात्र	160
अनाज	340	8.0	2.0	73	50	6	30
चावल(बिना पका)	350	7.0	0.5	80	10	3	4
गेंहूँ (आंटा)	350	12.0	1.5	71	40	3	50
दालें	340	23.0	1.5	59	140	6	140
मूंगफली एवं फलियाँ	610	19.0	51.0	18	320	10	60
आलू एवं कंद	80	2.0	0.5	17	60	1	340
पत्तेदार सब्जियाँ	50	4.0	1.0	7	290	15	7500
फल	70	1.0	0.5	15	30	2	470
मांस	140	21.0	5.0	–	50	2	470
मछली	30	19.0	3.0	2	240	4	100
अण्डा	30	13.0	13.5	अशतः	60	3	1200

स्त्रोत–हाँफकिन इन्स्टीट्यूट मुम्बई

मछली की प्रमुख प्रजातियों के रासायनिक संगठक

प्रतिशत **मि.ग्राम/100 ग्राम**

मछली का नाम	पानी	प्रोटीन	वसा	कैल्शियम	फास्फोरस	लोहा
कतला	73	15.4	2.7	160	490	0.36
मृगल	75	19.5	6.8	300	200	0.41
रोहू	76.7	16.6	14.0	680	150	0.50
महाशीर	71.3	25.2	2.4	130	280	0.80
मांगूर	78.2	15.00	1.00	210	290	0.75
सिंधी	78.2	4.8	0.6	670	6.50	0.97

मछली में 12–14% प्रोटीन, 1–25% खनिज लवण तथा 60–65% पानी होता है.

100 ग्राम मछली–85 ग्राम दाल, 165 ग्राम गेहूँ, 155 ग्राम अंडा, 250 ग्राम चावल तथा 500 ग्राम दुध के बराबर पोषक तत्व प्रदान करती है.

मत्स्य पालन –क्या करें, क्या न करें

क्या करें–

1. मत्स्य बीज संचयन के पूर्व तालाब की पूर्ण तैयारी.
2. पानी के आगम एवं निर्गम द्वार पर जाली लगावें.
3. तालाब की अवांछित एवं मांसाहारी मछलियां/खरपतवार का सफाया.
4. तालाब में खाद, चूना डालने के (15 दिन) बाद मत्स्य बीज संचय.
5. मत्स्य बीज संचय माह जुलाई से सितम्बर के बीच ही करें.
6. मत्स्य बीज संचय प्रातः काल करें.
7. मत्स्य बीज कतला, रोहू और मृगल सही अनुपात में संचय करें.
8. समय–समय पर तालाबों में जाल चलाकर बीज की बढ़त देखते रहें.
9. मछलियों की बीमारी ज्ञात होने पर तुरन्त विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर उपचार करें.
10. मत्स्य बीज को मत्स्य विभाग या अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें.
11. अधिक वीड्स (खरपतवार), वनस्पति वाले तालाबों में ग्रास कार्प मछली का संचय करें.
12. अधिक उत्पादन हेतु तालाब में एरिएटर का उपयोग करें.
13. ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर बनाये रखे कुंए ट्यूबवेल, नहर, नदियां, पम्प द्वारा.
14. छोटे तालाबों में मछली पालन के साथ अन्य उत्पादन जैसे– मछली सह बत्तख पालन, मुर्गी, पशु, सुअर एवं फलोद्यान का समन्वित कार्यक्रम लें.

क्या न करें.

1. तालाब में मत्स्य जीरा संचयन न करें.
2. निर्धारित मात्रा से अधिक मत्स्य बीज संचय न करें.
3. मछलियों की बीमारी का उपचार तकनीकी निर्देश के बिना न करें.
4. एल्गल ब्लूम (काई) अधिक होने पर तालाब में खाद न डालें.
5. अवांछनीय/खाऊ मछली का संचय तालाब में न करें.
6. कीड़े/जीव जन्तु/पानी का बिच्छु आदि को निकाल बाहर फेंके एवं मार डालें.
7. खरपतवार के उन्मूलन हेतु बिना तकनीकी सलाह के दवाओं का उपयोग न करें.
8. मछलियां मारने में जहर का उपयोग वर्जित है.
9. बड़े तालाबों से 1 कि.ग्रा. से छोटी मछली न निकाले.